न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 13/2012

जीसीएमएस नम्बर :– 2012/00014

उनवान

1. प्रेमी पुत्री मोहन नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सोहनीदेवी पत्नि मोहन नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पुत्र मोहन नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सीता पत्नि लक्ष्मण नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पुत्र लक्ष्मण ना.बा.बे.वि. माता सीता पत्नि लक्ष्मण नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर
5. कमलेश पुत्र लक्ष्मण ना.बा.बे.वि. माता सीता पत्नि लक्ष्मण नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर
6. शिव पुत्र लक्ष्मण ना.बा.बे.वि. माता सीता पत्नि लक्ष्मण नाई निवासी मियाला तहसील रायपुर
7. बाबुनाथ पिता धन्नानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवानाथ पिता खेमनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल कुमार जैन – वादी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन रंगरेज – प्रतिवादी अधिवक्ता 7 व 8

निर्णय

दिनांक–25.09.2025

1. पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीयां एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में शामिल शरीक रहते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य पारिवारिक सम्पदाओं का कोई विभाजन मीट्स एण्ड वोण्ड्स के आधार पर नही हुआ है तथा सभी चल अचल सम्पदाएं अविभक्त दशा में चली आ रही है। ग्राम मियाला, तहसील रायपुर के बेरून हल्के में साबिक आराजी संख्या 316, 326/15 रकवा 5 बीघा जिसके हाल आराजी संख्या 486 व 489 रकबा 1.08 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 06 की पुश्तैनी चली आ रही है जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 07 से 08 के नाम पर अभिलिखित चली आ रही है। इस हेतु जमावंदी की नकल हमराह वाद पेश है। वादीयां का उक्त वर्णित विवादित आराजियात पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के साथ साथ हक व हिस्सा जन्म से ही कानूनन है व बनता है अर्थात वादीयां का विवादित आराजीयात में 1/4 हक व हिस्सा

सहायक कलक्टर
रायपुर

कानून है व बनता है, तथा इसी अनुसार वादीयां उक्त वर्णित समस्त विवादित आराजियात के 1/4 हक व हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग निरन्तर करती चली आ रही हैं, अर्थात विवादित आराजियात वादीया के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 के पति, विपक्षी संख्या 02 के पिता, विपक्षी संख्या 03 के ससुर एवं विपक्षी संख्या 04 व 06 के दादा स्व० श्री मोहन जी के निधन उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 06 के साथ साथ वादीयां के नाम पर भी अभिलिखित की जानी चाहिये थी क्योंकि स्व० श्री मोहन जी का निधन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के उपरान्त हुआ है, तथा कब्जा भी वादीयां का अपने हक व हिस्से अनुसार विवादित आराजियात पर चला आ रहा है अर्थात वादीयां प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्री होने से एवं उक्त वर्णित आराजियात पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 06 के साथ साथ हक व हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारिणी है।

2. विवादित आराजियात गलत एवं अवैध हक व हिस्से से राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 06 के पति व पिता लक्ष्मण के नाम मोहनलाल की मृत्यु उपरान्त अभिलिखित कर दी उक्त गलत इन्द्राज का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा मृतक लक्ष्मण ने दुराशयपूर्वक वादीयां को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की गरज से अपने मिलने वाले प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को वादग्रस्त आराजियात दिनांक 28/09/1999 को बिना प्रतिफल के दिखावटी तौर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जो सर्वथा गलत अवैध होकर वादीया के मुकाबले में प्रभावहीन होकर बेअसर है क्योंकि वादग्रस्त आराजियात पैतृक होने से वादीया का भी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के साथ साथ वादग्रस्त आराजियात में हक व हिस्सा कानूनन है व होता है अर्थात विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4, 1/4 व लक्ष्मण का मी 1/4 हक व हिस्सा कानूनन होता है तथा वादीयां का कुलीया 1/4 हक व हिस्सा कानूनन होता है तो फिर प्रतिवादी संख्या 01 से 02 व लक्ष्मण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से अपने बनने वाले हक व हिस्से से ज्यादा का किया गया बिकावनामा प्रारम्भ से ही गलत होकर अवैध है। विवादित आराजियात पैतृक होकर शामलाती है और बिना विभाजन कराये किया गया बिकावनामा सर्वथा गलत होकर वादीयां के मुकाबले में प्रभावहीन व शून्य है। प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को तथाकथित बिकावनामा की पालना में कोई कब्जा विवादित आराजियात का प्रतिवादी संख्या 01 से 02 व लक्ष्मण द्वारा नहीं दिया गया न दिया ही जा सकता हैं, क्योंकि वादीयां का भी कब्जा व दखल होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 02 व लक्ष्मण द्वारा सम्पूर्ण रकवे का कब्जा दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 02 व लक्ष्मण को अपने स्वयं के लिये अथवा परिवार के लिये कोई किसी प्रकार की रकम की सदभाविक आवश्यकता नहीं थी न है इतना ही नहीं यदि प्रतिवादी संख्या 01 से 02 व लक्ष्मण स्वतंत्र सहमति से विकावनागा निष्पादित कराते तो निश्चित रूप से इस बाबत वादीयां को अवश्य जानकारी देते किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 से 02 व लक्ष्मण ने चुपके चुपके तथाकथित दस्तावेज निष्पादित कराया जो वादीयां के मुकाबले में प्रारम्भ से गलत होकर बेअसर है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नायपुर

3. अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि बजिरये डिक्री घोषणात्मक बहक वादीयां विरूद्व प्रतिवादीगण इस समर की सादिर फरमावे कि वादग्रस्त आराजियात की वादीयां 1/4 हक व हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में भी विवादित आराजियात का 1/4 हक व हिस्सा वादीया के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराई जावे। बजरिये डिक्री बहक वादीयां विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 इस समर सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजियात का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व लक्ष्मण द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के हक में किया गया बिकावनामा दिनांक 28.09.1999 वादीया के मुकावले प्रभावहीन होकर बेअसर है तथा यह भी घोषित फरमाया जावे कि तथाकथित विकावनामे से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को कोई हक अधिकार विवादित आराजियात में वादीयां के हक हिस्से बाबत् प्राप्त नहीं होते है न हुए है। असल बिकावनामे पर भी वादीयां के हक हिस्से तक प्रभावहीन एवं शुन्य का नोट अंकित कराया जावे तथा बसिगे रजिस्ट्री में भी तथाकथित बिकावनामा पर प्रभावहीन एवं शुन्य का नोट अंकित कराया जावे। साथ ही बजरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा की बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 इस समर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादीयां को विवादित आराजियात के उनके हक व हिस्से अर्थात 1/4 से जबरन बेदखल नही कर हस्तान्तरित ही करे करावें एवं वादीया द्वारा अपने हक हिस्से के किये जा रहे निरन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी नही करें करावे।

4. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व दिनांक 07.06.2012 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन रंगरेज की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 9 औपचारिक पक्षकार है।

5. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि वादीया शादीशुदा होकर ससुराल में निवास कर रही है सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादिया का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नही तथा न ही मौरूषी भूमि है। वादिया ने वादग्रस्त भूमियों पिता की मृत्यु के उपरान्त अपना हिस्सा त्याग दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा लक्ष्मण द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को भूमि विकय की गई है तब से ही निरन्तर व निर्बाद कब्जा चला आ रहा है। वादिया का वादग्रस्त भूमियों में कोई हक हिस्सा नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा लक्ष्मण ही वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे उनके द्वारा सर्म्पूण कृशि भूमि को अपने घर खर्च में रूपयो की आवश्यकता होने पर वैध प्रतिफल लेकर रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिये विकय कर कब्जा सिपूर्द किया गया। दिनांक 28.09.1999 को वैध प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सिपूर्द किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि मंगरी थी जिसे प्रतिवादी द्वारा उपजाउ बनाया गया। तहसील रायपुर का भु प्रबन्ध होने से सेटेलमेन्ट अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि से

प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम हटाकर पुनः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा लक्ष्मण का नाम अंकित कर दिया जिसे प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने न्यायालय में धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः नाम दर्ज करवाया गया। वादिया प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्व किसी प्रकार की घोशणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी नही है। विक्रय पत्र को निरस्त घोषित कराये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिससे वादिया का वाद खारीज फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 सद्भावी क्रेता होकर वैध रूप से काबिज है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा दिनांक 28.09.1999 को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा लक्ष्मण से उनके आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 316, 326/15 रकबा 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः सादर प्रार्थना है कि वादिया का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे।

6. वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. आया वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा होकर वादिया 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है ? जिम्मे वादिया
2. आया वादिया वादग्रस्त आराजियात में अपने 1/4 हिस्से पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। जिम्मे वादीगण
3. आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा दिनांक 28.09.1999 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे प्रतिवादीगण सदभाविक क्रेता होने वादिया का खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8
4. आया कब्जे के अभाव में वादिया घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने अधिकारी नही है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8
5. आया वादिया खातेदार काश्तकार के विरूद्व विक्रयपत्र को शुन्य घोषित करने का वादपत्र पेश किया है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8
6. अनुतोष ?

7. वादिया द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एक हि परिवार के सदस्य होकर पारिवारिक सजरा वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादवर्णित आराजियात वादिया के पिता मोहन पुत्र नाथु नाई की होकर जमावन्दी संवत 2049 से 2052 में वादिया के पिता मोहन के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है जिसमें वादिया का जन्म से ही हक अधिकार है। पारिवारीक सजरे के अनुसार वादिया का 1/4 हक हिस्सा निहित होता है। वादिया के पिता की विरासत का नामन्तरण प्रतिवादी 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया जो वादिया के हक अधिकार के मुकाबले शरू से ही नल एण्ड वोईड है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

उक्त आराजियात मे 1/4 हक हिस्सा होकर मालिक व काबिज है। अतः वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व साथ ही प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को वादिया के 1/4 हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड घोषित कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादिया द्वारा अपनी जिरह में बताया गया कि वादिया की शादी 17 वर्ष की आयु में उसके माता पिता द्वारा ग्राम चारोट में करवाई गयी थी। वादग्रस्त आराजियात वादिया के पिता को आंवटित हुई थी। भूमि का विक्रय किया गया तब वादिया 25 वर्ष की थी। पांच बीघा भूमि विक्रय की गई जिस पर पुरा कब्जा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का था। वादिया के बच्चे की शादी उसकी माता की मृत्यु के बाद करायी गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मे से कोई मायरा लेकर नही आये थे। भूमि का विक्रय किया तब वादिया की सहमति नही ली गई थी।

क.स.	प्रदर्श विवरण	प्रदर्श	वि.वि.
1	ग्राम मियाला की जमाबन्दी संवत 2049 से 2052	प्रदर्श–1	वादग्रस्त आराजियात मोहन पिता नाथु नाई के नाम दर्ज है जो ई.न. 398 से खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृती हुई।
2	ग्राम मियाला की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065	प्रदर्श–2	वादग्रस्त आराजियात मोहन पिता नाथु नाई के नाम दर्ज रेकार्ड है।
3	ग्राम मियाला का नामान्तरण 141	प्रदर्श–3	मोहनलाल के बजाय बाबुनाथ व सुवानाथ के नाम न्यायालय आदेश दर्ज हुई।
4	ग्राम मियाला की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069	प्रदर्श–4	मोहनलाल के बजाय बाबुनाथ व सुवानाथ के नाम न्यायालय आदेश दर्ज हुई।
5	मिलान खसरा की प्रति	प्रदर्श–5	
6	पंजीकृत विक्रय की प्रति	प्रदर्श–6	दिनांक 29.09.1999 को पंजीकृत लक्ष्मण, गोपाल पिता मोहन, सोहनी बेवा मोहन नाई द्वारा सुवानाथ व बाबुनाथ को बैचान का विक्रय पत्र

8. प्रतिवादी सुवानाथ पिता खेमानाथ जोगी निवासी मियाला व प्रतिवादी बाबुनाथ पिता धन्नानाथ जोगी निवासी ने बयान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये जिसमें अंकन किया कि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या सात व आठ द्वारा दिनांक 28.09.1999 को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा लक्ष्मण से उनके आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि 5 बीघा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया तब से निर्बाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादिया का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक हिस्सा नही है। वादिया मृतक मोहन की जायन्दा पुत्री नही है। वादिया वादग्रस्त आराजियात की किसी प्रकार की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे जिसको वैध प्रतिफल देकर भूमि क्रय की गई तब से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे जिसको करीब 23 वर्ष हो चुके है। प्रतिवादी 7 व 8 द्वारा उक्त भूमि को

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

उपजाउ बनाया गया है। वादिया मृतक मोहन की पुत्री नही है। वादिया का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नही है जिससे वादिया का वाद खारीज फरमाया जावे।

सुवानाथ द्वारा अपनी गवाही में बताया कि उसने भूमि पहले मोहन से क्रय की लेकिन रजिस्ट्री लक्ष्मण गोपाल व सोहन बाई से करवाई गयी। वादिया प्रेमी लक्ष्मण व गोपाल की बहिन नही है। प्रतिवादी ने इस प्रकरण में प्रेमी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है क्योकि हकत्याग मौखिक था। वादिया मोहन नाई की लड़की हो यह मै नही बता सकता।

बाबुनाथ द्वारा अपनी गवाही में बताया कि उसे वादग्रस्त आराजियात लक्ष्मण, गोपाल व उसकी मां सोहनीदेवी से मोल ली है। उससे पहले मोहलाल से मोल ली थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। लक्ष्मण व गोपाल की बहिन प्रेमी है जो ससुराल में रहती है। प्रेमी का पिहर मियाला में ही है।

9. वादिया अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिया प्रतिवादी 1 सोहनी पत्नि मोहन की बेटी है। वादिया का वाग्रस्त आराजियात में जन्म से 1/4 हक हिस्सा निहित है। मोहन की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण 1994 में सोहनी बेवा मोहन, लक्ष्मण गोपाल तथा वादिया का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 वादिया के भाई लक्ष्मण के विधिक वारीसान है। लक्ष्मण, गोपाल, सोहनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 बाबुनाथ पुत्र धन्नानाथ व 8 सुवानाथ पुत्र खेमानाथ को 29.09.1999 बेची गई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटी को भी पैतृक सम्पति में बराबर का हिस्सा है। विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य होने से इसे निरस्त कराने की आवश्यकता नही है क्योंकि पुत्री का पैतृक सम्पति में जन्म से ही हिस्सा होता है। वादिया कि उसकी हद तक विकय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य है। इस प्रकार का अनुतोष राजस्व न्यायालय दे सकता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हुई है। तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। विवाद्याक संख्या 5 में कोई साक्ष्य की आवश्यकता नही है। DW-1 ने अपनी जिरह में वादिया प्रेमी को लक्ष्मण व गोपाल की बहन नही होना बताया है। यह तर्क देने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। जवाब दावे के अंकन के अनुसार DW-1 को जानकारी थी कि प्रेमी लक्ष्मण की बहन है। जवाब दावे में हकत्याग का उल्लेख किया गया है लेकिन जब जमाबन्दी में वादिया के नाम का अंकन ही नही हुआ तो हकत्याग संभव ही नही है। मौखिक हकत्याग का उल्लेख जिरह में किया गया है। DW-2 द्वारा अपनी जिरह में प्रेमी को मोहन की बेटी स्वीकार किया गया है। तथा विरासत के नामान्तरण में आराजियात का केवल लक्ष्मण, गोपाल व सोहनी के नाम पर दर्ज होना स्वीकार किया गया है। अन्त में अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादपत्र को स्वीकार कर वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा विकय को वादिया के 1/4 हक हिस्से तक शुन्य (Null And Void) घोषित किया जाए। वादिया के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण 7 व 8 स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) उदयपुर

10. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या में वर्णित तथ्यो को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। प्रतिवादी के बयानो का प्रेमी के सन्दर्भ में उपयोग वादपत्र को साबित करने के लिए नही किया जा सकता है। जवाब दावे में सजरे से इन्कार किया गया है। सजरे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित होने से वादिया का सजरा साबित नही होता है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का वादग्रस्त आराजियात पर 28.09. 1999 से कब्जा है। अतः कब्जे के अभाव में भी वादिया का वादपत्र स्वीकार नही किया जा सकता। वर्ष 2000 में भू–प्रबन्ध के दौरान लिपिकीय त्रुटी के कारण वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के बजाय पुनः मोहन नाई के नाम दर्ज हो गई। अर्न्तगत धारा 136 के तहत् न्यायालय आदेश से दिनांक 19.10.2010 को नामान्तरण संख्या 141 के द्वारा वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम पुनः दर्ज की गई। इस दौरान भी वादिया कोई आपत्ति पेश नही की गई। वर्ष 1999 में ही क्रेता को कब्जा सौप दिया गया था। PW-1 वादिया के पते के बारे में स्पष्ट अंकन नही है। वादपत्र में मियाला निवासी बताया गया है। जबकि जिरह में ग्राम चारोट में विवाह होना बताया गया है। जिरह में भूमि आवटित बताई गयी है अतः यह मौरूषी व पैतृक नही है। सबसे पहले मोहन नाई से भूमि क्रय की गई थी लेकिन पंजीकरण मोहन नाई के वारिसो द्वारा कराया गया। प्रतिवादी की जिरह से प्रेमी का मोहन नाई बेटी होना साबित नही होता है। मोहन के पिता के नाम कोई जमाबन्दी नही थी। अतः वादग्रस्त आराजियात को पैतृक नही माना जाना चाहिये। अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारीज फरमाया जावे।

11. प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस पर वादिया अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। जवाब दावे की कलम संख्या 4 प्रतिवादी 7 व 8 द्वारा वादिया द्वारा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपना हिस्सा त्याग कर सुसराल में नही निवास करना बताया गया है जिससे पता चलता है कि प्रतिवादीगण को वादिया के बारे में जानकारी थी। यदि मोहन नाई अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात बैच देते तो वादिया का हक आरायिजात पर नही होता परन्तु मृत्यु के पश्चात् मोहन नाई की आवंटित भूमि पुश्तैनी मानी जायेगी। मोहन नाई के वारीसो के लिए वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने गवाहो में लक्ष्मण, गोपाल, सोहनी किसी को भी पेश किया जा सकता था किन्तु प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने ऐसा कोई प्रयत्न नही किया। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाए।

12. वादपत्र जवाव दावा, साक्ष्य, गयान, गवाह एवं अधिवक्ताओं कीह बहस के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है –

I. **आया वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा होकर वादिया 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोशित होने का अधिकारी है ?** जिम्मे वादिया

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया पर था। वादिया ने इस तनकी के समर्थन में वादिया द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पर बयान पेश किया गया। वादिया ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श कराये जो निम्नलिखित है –

क.स.	प्रदर्श विवरण	प्रदर्श	वि.वि.
1	ग्राम मियाला की जमाबन्दी संवत 2049 से 2052	प्रदर्श–1	वादग्रस्त आराजियात मोहन पिता नाथु नाई के नाम दर्ज है जो ई.न. 398 से खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृती हुई।
2	ग्राम मियाला की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065	प्रदर्श–2	वादग्रस्त आराजियात मोहन पिता नाथु नाई के नाम दर्ज रेकार्ड है।
3	ग्राम मियाला का नामान्तरण 141	प्रदर्श–3	मोहनलाल के बजाय बाबुनाथ व सुवानाथ के नाम न्यायालय आदेश दर्ज हुई।
4	ग्राम मियाला की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069	प्रदर्श–4	मोहनलाल के बजाय बाबुनाथ व सुवानाथ के नाम न्यायालय आदेश दर्ज हुई।
5	मिलान खसरा की प्रति	प्रदर्श–5	
6	पंजीकृत विकय की प्रति	प्रदर्श–6	दिनांक 29.09.1999 को पंजीकृत लक्ष्मण, गोपाल पिता मोहन, सोहनी बेवा मोहन नाई द्वारा सुवानाथ व बाबुनाथ को बैचान का विकय पत्र

वादिया ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजियात वादिया के पिता को आवटित हुई थी। प्रदर्श–1 जमाबन्दी से उक्त कथन की पुष्टि होती है। वादिया द्वारा अपने सजरे को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नही किये है। प्रतिवादीगण द्वारा सजरे को स्वीकार नही किया गया है। अतः वादिया स्वयं को मोहन नाई की विधिक वारीसान साबित करने साक्ष्यो के अभाव में असफल रही है।

II. आया वादिया वादग्रस्त आराजियात में अपने 1/4 हिस्से पर स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है। **जिम्मे वादीगण**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा विवाद्यक 1 को सावित करने में असफल रहने के कारण उक्त विवाद्यक को भी साबित करने में असफल रही है जिससे वादग्रस्त आराजियात में अपने 1/4 हिस्से पर स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति उक्त विवाद्यक का निर्णय विरूद्व वादिया किया जाता है।

III. आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा दिनांक 28.09.1999 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के कय कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे प्रतिवादीगण सदभाविक केता होने वादिया का वाद खारीज होने योग्य है। **जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8**

इस तनकी को सावित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पर था। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने इस तनकी के समर्थन में स्वंय के शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत कर गवाही दी। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या सात व आठ द्वारा दिनांक 28.09.1999 को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता लक्ष्मण से उनके आधिपत्य एवं स्वामित्व

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

की वादवर्णित विवादित आराजियात सम्पूर्ण 5 बीघा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्श–6 है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता लक्ष्मण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 में अंकित विरासत नामान्तरण संख्या 368 दिनांक 31.05.1994 के जरिये मोहन नाई से उनके नाम दर्ज रेकार्ड हुई। भूमि क्रय की गई तब से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 काविज होकर काश्त करते चले आ रहे जो विक्रय पत्र में कब्जा सिर्पूदगी से प्रमाणित है। विक्रय पत्र से लक्ष्मण, गोपाल पिता मोहन, सोहनी बेवा मोहन नाई द्वारा सुवानाथ व बाबुनाथ को सम्पूर्ण वादवर्णित आराजियात का बैचान कर दिया गया जिसका नामान्तरण संख्या 403 दिनांक 30.05.2000 को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम पर दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया का पालन करते हुए वादग्रस्त आराजियात का क्रय करना एवं अपने दर्ज नाम दर्ज रेकार्ड है एवं कब्जा प्राप्त करना उक्त दस्तावेजो से प्रमाणित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादग्रस्त आराजियात के सदभाविक केता साबित होते है एवं उक्त विवाद्याक को अपने पक्ष मे सावित करने मे सफल रहते है। जिससे उक्त तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी संख्या 7 व 8 विरूद्व वादिया किया जाता है।

IV. आया कब्जे के अभाव में वादिया घोशणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पर था। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा विवाद्यक तीन को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने तथा दस्तावेजो के आधार पर अपना कब्जा साबित करने में सफल रहने के कारण उक्त विवाद्यक बहक प्रतिवादी संख्या 7 व 8 विरूद्व वादिया निर्णित किया जाता है।

V. आया वादिया खातेदार काश्तकार के विरूद्व विक्रयपत्र को शुन्य घोषित करने का वादपत्र पेश किया है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पर था। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया का पालन करते हुए वादग्रस्त आराजियात का क्रय करना एवं अपने दर्ज नाम दर्ज रेकार्ड है एवं कब्जा प्राप्त करना उक्त दस्तावेजो से प्रमाणित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादग्रस्त आराजियात के सदभाविक केता है। अतः विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है।

13. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस का गभींरता पूर्वक अध्ययन किया एवं तनकीवार निर्णय का विवेचन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि मोहन नाई को ई.स. 398 से खातेदारी हक से दर्ज हुई है। खातेदार मोहन नाई की मृत्यु से विरासत से उनके विधिक वारीसान गोपाल, लक्ष्मण, सोहनी के नाम नागान्तरण संख्या 368 दिनांक 31.05.1994 से दर्ज हुई। इसके पश्चात् उक्त वादवर्णित आराजियात तत्कालीन खातेदार गोपाल, लक्ष्मण, सोहनी बेवा मोहान नाई द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 7 बाबुनाथ पिता धन्नानाथ व प्रतिवादी संख्या 8 सुवानाथ पिता खेमानाथ को विक्रय कर कब्जा सूर्पद किया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 30.05.2000 से प्रतिवादी संख्या 7, 8 के नाम पर दर्ज हुई। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के सजरे को तथा वादिया का मोहन नाई तथा प्रतिवादी संख्या 1 सोहनी की पुत्री होना स्वीकार नही किया गया। वादिया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो कि वादिया मोहन नाई की वारीस है।

उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय हाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2025 को रेनवा @ लक्ष्मी बनाम शान्तिलकुमारस्वामी प्रकरण में पारित निर्णय को संज्ञान में लेते हुए उक्त निर्णय के मुख्य बिन्दुओं जो इस प्रकरण में लागु होते है उनका उल्लेख निम्नानुसार किया जाना उचित समझता है। उक्त निर्णय की पैरा संख्या 3 के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधान किसी भी ऐसे पजीकृत विकय पत्र पर लागु नही होते है जिसका निष्पादन दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किया जा चुका है।

चूंकि उक्त प्रकरण में पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 28.09.1999 को निष्पादित किया गया है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधान उस पर निष्प्रभावी है।

उपरोक्त विवरणानुसार वादपत्र साक्ष्यों एवं दस्तावजो के अभाव में, तनकीवार निर्णय के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2025 को रेनवा @ लक्ष्मी बनाम शान्तिलकुमारस्वामी प्रकरण में पारित निर्णय को संज्ञान में लेते हुए, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पक्ष में दिनांक 28.09.1999 को निष्पादित पंजीकृत विकय पत्र पर निष्प्रभावी होने के कारण वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क, 188, के तहत् साक्ष्यों एवं दस्तावजो के अभाव में, तनकीवार निर्णय के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2025 को रेनवा @ लक्ष्मी बनाम शान्तिलकुमारस्वामी प्रकरण में पारित निर्णय को संज्ञान में लेते हुए, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पक्ष में दिनांक 28.09.1999 को निष्पादित पंजीकृत विकय पत्र पर निष्प्रभावी होने के कारण खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा